हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

73वीं बैठक का एजेण्डा

दिनांकः 30 / 12 / 2021 (परिचालन के माध्यम से)

Scanned with CamScanner

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 73 वी बोर्ड बैठक (परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

पत्रावली संख्या :– प्रशा0 2(क) 22/87/2021–22

मद संख्या–73 (01)

विषयः– उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1647/V–2/21/11(एल0यू0सी0)/2003 T.C, देहरादून दिनांक 05.10.2021 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय–7 के बिन्दु संख्या–7.14(II) एवं (III) में फिलिंग सटेशन से सम्बन्धित संशोधित मानकों को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1647/V-2/21/11 (एल0यू0सी0)/2003 T.C , देहरादून दिनांक 05.10.2021 जोकि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन, 2021 जोकि राज्य सरकार द्वारा निर्गत भवन निर्माण एंव विकास उपविधि, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय–7 के बिन्दु संख्या 7.14 (II) एवं (III) में फिलिंग स्टेशन से सम्बन्धित मानकों, जिनका उल्लेख स्तम्भ–1 में है, को तालिका के स्तम्भ–2 के अनुसार निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया गया है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन, 2021

7.14 फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन–यथा पेट्रोल, डीजल CNG, LPG आदि

(II) भू–खण्ड की स्थिति एवं अपेक्षाऐं–

स्तम्भ–1				स्तम्भ–2			
वर्तमान प्राविधान				नवीन प्राविधान			
					पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र	
क0 सं0		मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत/ पर्वतीय क्षेत्र में	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा से बाहर			नगर निकाय सीमा अन्तर्गत/राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र, जिसमें 20,000 से अधिक आबादी अवस्थित है	नगर निकाय सीमा से बाहर
1.	पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	18.0 मी0	30.0 मी0	1.पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई का निर्धारण निम्नानुसार होगा। (अ) महायोजना में प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार (ROW) तथा	12.0 मी0	18.0 मी0	30.0 मी0
–	–	–	–	(ब) मार्गाधिकार की विद्यमान न्यूनतम चौडाई*	9.0 मी0	12.0 मी0	15.0 मी0
	राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्ग पर स्थित फिलिंग स्टेशन में मार्ग मध्य से भू–खण्ड	30.0 मी0	30.0मी0	राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्ग पर स्थित फिलिंग स्टेशन में मार्ग मध्य से भू–खण्ड की स्थिति | राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रांतीय राजमार्ग	मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति अनुसार अथवा महायोजना होने पर	15.0मी0 अथवा महायोजना मे प्रस्तावित अनुसार अथवा NH/PWD/ मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त अनापत्ति	20.0 मी0 अथवा महायोजना में प्रस्तावित अनुसार अथवा NH/PWD/ मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त

Scanned with CamScanner

	की स्थिति			मार्ग मध्य से अपेक्षित मार्गाधिकार (जिसे मार्गाधिकार हेतु छोडने उपरान्त भूखण्ड सीमा का निर्धारण होगा)		महायोजना अनुसार जो भी अधिक हो।	अनुसार जो भी अधिक हो।	अनापत्ति अनुसार जो भी अधिक हो।
	–	–	–		अन्य मार्ग	महायोजना होने पर महायोजना अनुसार अथवा 6.00 मी0 अथवा PWD / मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति अनुसार जो भी अधिक हो।	महायोजना में प्रस्तावित अनुसार अथवा 9 मीटर अथवा PWD / मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति अनुसार जो भी अधिक हो।	15.0 मी0 अथवा महायोजना में प्रस्तावित अनुसार अथवा PWD / मार्गाधिकार से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त अनापत्ति अनुसार जो भी अधिक हो।

*महायोजना प्रभावी न होने की दशा में मार्गाधिकार की विद्यमान न्यूनतम चौंड़ाई का प्राविधान ही प्रभावी होगा तथा जहां महायोजना प्रभावी है,वहां पर ''अ'' व ''ब'' दोनों मानक पूर्ण होने चाहिए।

स्तम्भ–1				स्तम्भ–2			
पूर्व प्राविधान				नवीन प्राविधान			
2.	मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशन की परस्पर दूरी मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत/पर्वतीय क्षेत्र में 300.0 मी0 तथा प्रश्नगत तालिका के बिन्दु–3 में वर्णित कासिंग/ टी–जंक्शन का आशय उपविधि में प्रस्तर 7.15 किसान सेवा केन्द्र मे निम्नानुसार वर्णित अनुसार होगा। कासिंग /टी–जंक्शन का आशय मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में कमशः 9.0 मी0 व 6.0 मी0 तथा इससे अधिक चौड़े मार्ग के मिलान बिन्दु से ही परिभाषित होगा।''	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत/ पर्वतीय क्षेत्र में	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा से बाहर	Divided मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशन के मध्य की परस्पर दूरी तथा undivided मार्ग के दोनों ओर आमने–सामने फिलिंग स्टेशन की मार्ग लम्बाई के साथ–साथ की दूरी।	पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र नगर निकाय सीमा अन्तर्गत/ राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र, जिसमें 20,000 से अधिक आबादी अवस्थित हो	मैदानी क्षेत्र नगर निकाय सीमा के बाहर
		300.0 मी0	1.00 किलोमीटर		300.0 मी0	300.0 मी0	1000.0 मी0
3.	मार्ग के कांसिंग/टी –जंक्शन से फिलिंग स्टेशन का प्रवेश व निकास की न्यूनतम दूरी	60.0 मी0	60.0 मी0	मार्गों के कांसिंग/टी** जंक्शन/ इंटरसेक्शन/ मीडियन गैप से फिलिंग स्टेशन के प्रवेश/ निकास की न्यूनतम दूरी। Divided मार्ग पर ऐसे टी–जंक्शन/ इंटर सेक्शन, जो प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के समक्ष स्थित	60.0 मी0	100.0 मी0.	राष्ट्रीय राजमार्ग/ प्रान्तीय राजमार्ग– 300.0 मी0

Scanned with CamScanner

				मीडियन के दूसरी ओर स्थित हो, जिससे ट्रेफिक **conflict** न हो इस प्रकार के टी–जंक्शन /इंटरसेक्शन का प्रभाव प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन पर न होने के दृष्टिगत ऐसे जंक्शन का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।			मुख्य जनपदीय मार्ग अथवा महायोजना मे प्रस्तावित चौड़ाई/ विद्यमान चौड़ाई न्यूनतम 15.0 मी0 हो – 240.0 मी0 अन्य जनपदीय मार्ग अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौंडाई न्यूनतम 12.0 मी0 हो 200.0 मी0

** कासिंग/टी–जंक्शन का आशय मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में कमशः 9.0 मी0 व 6.0 मी0 तथा इससे अधिक चौंड़े मार्ग के मिलान बिन्दु से ही परिभाषित होगा।

7.14 फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन–यथा पेट्रोल, डीजल CNG, LPG आदि

(III) भू–खण्ड का आकार

स्तम्भ–1					स्तम्भ–2			
पूर्व प्राविधान					**नवीन प्राविधान**			
क0 स0		मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा से बाहर	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत /पर्वतीय क्षेत्र में	एफ0 ए0 आर0	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमा से बाहर	मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तर्गत/ राष्ट्रीय राजमार्ग का वह क्षेत्र, जिसमें 20,000 से अधिक आबादी अवस्थित है	पर्वतीय क्षेत्र में	एफ0ए0 आर0
1.	फिलिंग स्टेशन	35.0 X 35.0 वर्गमीटर	20.0 X 20.0 वर्गमीटर	0.05	35.0 X 35.0 वर्गमीटर	30.0 X 30.0 वर्गमीटर (राष्ट्रीय राजमार्ग पर) शेष पर 20.0X20.0 वर्गमीटर	20.0X20.0 वर्गमीटर	0.05

नवीन प्राविधानः

(1) नवीन प्राविधानः (मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक :– 18 जनवरी, 2019 **OA NO.** 86/2019 एवं आदेश दिनांक 27.07.2020 एवं 09.10.2020 **OA NO.61 of** 2019) फिलिंग स्टेशन की स्थिति निम्नानुसार सुनिश्चित की जायेगीः–

(i) नदी, नाले, जलाशय, भूगर्भीय स्रोत, स्प्रिंग इत्यादि से फिलिंग स्टेशन की न्यूनतम दूरी 50.0 मी0 सुनिश्चित की जायेगी। इसमें **Flood plain** का संज्ञान लेते हुए **Flood Plain** से न्यूनतम 50.0 मी0 दूरी सुनिशिचित की जायेगी।

(ii) आवासीय क्षेत्र/भवन, स्कूल/ कॉलेज, अस्पताल से न्यूनतम दूरी 50.0 मी0 सुनिश्चित की जायेगी। **PESO** द्वारा निर्धारित **safety** मानकों का अनुपालन होने पर उक्त दूरी 30.0 मी0 तक की जा सकेगी। इसी प्रकार फिलिंग स्टेशन के 50.0 मी0 अर्द्ध व्यास में आवासीय भवन, स्कूल/कॉलेज, अस्पताल (10 शय्याओं से अधिक) इत्यादि की अनुमन्यता नहीं होगी।

(iii) **High Tension Line** के नीचे फिलिंग स्टेशन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन हेतु **MORTH** द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश अनुसार एवं तत्कम में सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति अनुसार फिलिंग स्टेशन की स्थापना मान्य होगी।

(3) **INDIAN ROAD CONGRESS (IRC-12-2009) "Guidelines for areas location and layout of road side fuel stations and service station"** में **" Enforcement of right of way and building lines"** अन्तर्गत **IRC-73 code** के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा उक्त उपविधि के प्राविधानों को प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत कराने तथा यदि किसी प्राधिकरण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उपविधि में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन /परिवर्द्धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकरणों से तद्विषयक संशोधन के प्रस्ताव को औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के साथ शासन को उपलब्ध कराने की आपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि कार्यालय पत्र संख्या 3025 दिनांक 22.10.2021 द्वारा प्राधिकरण में तैनात समस्त अभियन्ताओं को उक्त उपविधि को उनके सुझाव एवं मतव्य हेतु उपलब्ध करायी गयी। जिसके सापेक्ष वर्तमान तक उक्त उपविधि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एंव सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जिसके दृष्टिगत शासन की उपरोक्त अधिसूचना संख्या 1647/**V-2/21/11** (एल0यू0सी0) /2003 **T.C**, देहरादून दिनांक 05.10.2021 जोकि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि संशोधन, 2021 जोकि राज्य सरकार द्वारा निर्गत भवन निर्माण एंव विकास उपविधि, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय–7 के बिन्दु संख्या 7.14 (II) एवं (III) में फिलिंग स्टेशन से सम्बन्धित मानकों, जिनका उल्लेख स्तम्भ–1 में है, को तालिका के स्तम्भ–2 के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

18/1/24 · 22/12/2021

उपाध्यक्ष
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून

अध्यक्ष
न0पा0प0 शिवालिक नगर
हरिद्वार

18/1/24 · 30/1/24

नगर आयुक्त
नगर निगम
हरिद्वार
18/1/24

जिलाधिकारी
हरिद्वार

सचिव/प्रमुख सचिव
वित्त

सचिव/प्रमुख सचिव
सिंचाई

सचिव/प्रमुख सचिव
पेयजल

अधीक्षण अभियन्ता
निर्माण मण्डल
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम, देहरादून

सचिव/ प्रमुख सचिव
तीर्थाटन/पर्यटन

सचिव/ प्रमुख सचिव
आवास

आयुक्त, गढवाल मण्डल/
एंव अध्यक्ष ह0रू0वि0प्रा0

Scanned with CamScanner

कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

संख्या : 4768 /प्रशा0–2(क)–22/79/2021–22 दिनांकः 05/01/2022

1– संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय, रूडकी
2– मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
3– प्राधिकरण तहसीलदार, हरिद्वार।
4– अधीक्षण अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार ।
5– अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
6– प्रशासनिक अधिकारी/समस्त वाद सहायक।
7– आई0टी0अनुभाग/गार्ड फाईल।

प्राधिकरण की (परिचालन विधि से) 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2021 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपिः

उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
5. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
6. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर हरिद्वार।

संख्या : 4767/प्रशा0–2(क)–22/79/2019–20 दिनांकः 05/01/2022

विषय : **हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की (परिचालन विधि से सम्पन्न) 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2021 के कार्यवृत्त का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि से) दिनांक 30.12.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्तम सिंह चौहान)
O/C सचिव

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

(उत्तम सिंह चौहान)
O/C सचिव

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
5. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
6. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर हरिद्वार।

संख्या : 4767/प्रशा0–2(क)–22/79/2019–20 दिनांकः 05/01/2022

विषय : हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की (परिचालन विधि से सम्पन्न) 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.12.2021 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि से) दिनांक 30.12.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्तम सिंह चौहान)
o/c सचिव

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

(उत्तम सिंह चौहान)
o/c सचिव

Scanned with CamScanner